


182



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म०प्र०

=====

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक- R-485-1113 तन्-2012-13

गोकुल तनय अजुध्या चमार

निवासी ग्राम धिनौची तह० बडामलहरा जिला छतरपुर म०प्र० .. आवेदक

बनाम

1- सुनियाँ बाई पत्नी धरमदास चमार

निवासी ग्राम कचारी तह० बरवाहा जिला छतरपुर म०प्र०

2- लखी बाई पत्नी फुल्ली चमार

निवासी ग्राम दमौतीपुरा तह० बिजावर जिला छतरपुर म०प्र०

3- मध्य प्रदेश शासन .. अनावेदकगण

3.2.13 दिनांक
वि. 5.2.13 को

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजावर तहसील बिजावर जिला छतरपुर द्वारा राजस्व प्र०क्र०-54/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08.02.13 से असंतुष्ट होकर म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 संशोधित अधिनियम 2011 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

=====

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी 485-दो/2013

जिला-छतरपुर

गोकुल विरुद्ध सुनिया बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला-छतरपुर के प्र.क्र. 54/अपील/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 12/2/2019 सदस्य</p>